संख्या-[illegible]

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
कौशाम्बी।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5   लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2012

विषयः-अकियाशील इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों को कियाशील किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद-कौशाम्बी में भू-जल स्तर नीचे पहुँचने के फलस्वरूप 2000 हैण्डपम्पों की अक्रियाशीलता का तथ्य सूचित करते हुए हैण्डपम्पों के रिबोर हेतु वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध कराने विषयक कृपया अपने पत्रांक 186 (1)/ ओ0एस0डी0-कौशा0/ 2012, दिनांक 09.04.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- भू-जल स्तर नीचे चले जाने की स्थिति में हैण्डपम्प में जी0आई0 पाइप तथा कनेक्टिंग राड को बढ़ाकर हैण्डपम्प को कियाशील किया जा सकता है। हैण्डपम्पों को रिबोर कराने की तुलना में अकियाशील हैण्डपम्पों में जी0आई0 पाइप और कनेक्टिंग राड को बढाकरके हैण्डपम्पों को कियाशील किया जाना अपेक्षाकृत कम खर्चीला है अर्थात इस प्रकार की कार्यवाही अत्यन्त कास्ट इफेक्टिव है।

3- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-1134/अड़तीस-5-11-56सम/ 2010, दिनांक 29 जून, 2011 में इण्डिया मार्क हैण्डपम्पों एवं अन्य पेयजल योजनाओं के रखरखाव के बारे में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं और उक्त के सम्बन्ध में उपर्युक्त वर्णित शासनादेश के उप प्रस्तर-IV में स्पष्ट प्राविधान है। जी0आई0 पाइप तथा कनेक्टिंग राड़ को बढ़ाने के कार्य का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत को दिया गया है। इस हेतु धनराशि की व्यवस्था 13वें वित्त आयोग / राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि से किये जाने के निर्देश हैं।

4- उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 29.06.2011 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जनपद-कौशाम्बी में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। सुलभ सन्दर्भ हेतु शासनादेश दिनांक 29.06.2011 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-570 (1)/ [illegible]-2012 तद्दिनांक [illegible] जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश [illegible] संख्या-1134/अड़तीस-6-11
को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया शासनादेश [illegible] हुए हैण्डपम्पों में
-55राम/2010 दिनांक 29 जून, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए हैण्डपम्पों में
जी0आई0 पाइप तथा कनेक्टिंग राड बढ़ाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट
करें ताकि ग्रीष्म ऋतु में भू-जल स्तर नीचे गिरने के कारण अक्रियाशील हैण्डपम्पों को
क्रियाशील करके पेयजल की समस्या का तात्कालिक निदान सम्भव हो सके।

2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार ओझा)
विशेष सचिव।

D:2 Jain 2011 [illegible]